पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति

I. पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को की गई गणना) के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को लाभांश वितरण नीति तैयार करनी होगी, जिसका खुलासा उनकी वार्षिक रिपोर्टों और उनकी वेबसाइटों पर किया जाएगा।

II. नीतिगत ढांचा

नीति को मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है और इसमें निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सेबी, आरबीआई द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशा-निर्देशों, "एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा" के संबंध में मास्टर निर्देशों और लागू सीमा तक अन्य दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा गया है।

III. विचारणीय कारक

पीएफसी लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है और सभी हितधारकों को स्थायी मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लाभांश की घोषणा कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। बोर्ड अंतरिम लाभांश की घोषणा भी कर सकता है।

लाभांश भुगतान के बारे में निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि को कंपनी के निर्वाह और विकास योजनाओं के लिए आंतरिक उपार्जन की आवश्यकता के साथ संतुलित करता है। लाभांश की सिफारिश/घोषणा करने से पहले आमतौर पर जिन कारकों पर विचार किया जाता है वे इस प्रकार हैं:

क. वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कंपनी को भारत सरकार के दीपम द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को पीएटी का न्यूनतम 30% या निवल मूल्य का 4%, जो भी अधिक हो, किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा। एनबीएफसी जैसी वित्तीय क्षेत्र की सीपीएसईज़, किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत, सीमा के अधीन, पीएटी के 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान कर सकती हैं। तदनुसार, पीएफसी एक एनबीएफसी होने के नाते, किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सीमा के अधीन, पीएटी के 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना आवश्यक है।

इसके अलावा, डीआईपीएएम (निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) ने सलाह दी कि सीपीएसई तिमाही नतीजों के बाद हर तिमाही में अंतरिम लाभांश का भुगतान करने पर विचार कर सकते हैं, या साल में कम से कम दो बार। इसके अलावा, सभी सूचीबद्ध सीपीएसई को अंतरिम लाभांश के रूप में एक या अधिक किस्तों में अनुमानित वार्षिक लाभांश का कम से कम 90% भुगतान करने पर विचार करना चाहिए।

ख. आंतरिक और बाह्य कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा के लिए विचार किया जाएगा

ख.1 आंतरिक कारक

ख.1.1 पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात

एनबीएफसी होने के नाते, पीएफसी को एक निश्चित स्तर पर सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है। तदनुसार, लाभांश की घोषणा करते समय सीआरएआर के अपेक्षित स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि यह निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन न करे।

ख.1.2 कंपनी का पिछला और वर्तमान वित्तीय प्रदर्शन/लाभांश इतिहास और प्रतिष्ठा:

बोर्ड कंपनी के पिछले और वर्तमान वित्तीय प्रदर्शन, व्यवसायिक क्षेत्र में पीएफसी की स्थिति, लाभांश भुगतान के इतिहास और कंपनी की समग्र प्रतिष्ठा पर निर्णय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष अवधि के लिए लाभांश का निर्धारण करेगा।

उपरोक्त मापदंडों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य कारकों पर भी विचार कर सकती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- निवल संपत्ति और उधार लेने की क्षमता;
- दीर्घकालिक उधार;
- केपैक्स /व्यवसाय विस्तार की जरूरतें;
- केपैक्स जरूरतों के अनुरूप आगे के लाभ उठाने के लिए लाभ को बनाए रखना; और
- नकदी और बैंक बैलेंस।
- कंपनी की सहायक कंपनियों/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश;
- बोर्ड द्वारा उचित समझा जाने वाला कोई अन्य कारक।

ख.2 बाह्य कारक

ख.2.1 आर्थिक वातावरण

अनिश्चित या मंदी वाली आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों के मामले में, कंपनी भविष्य में होने वाली गिरावट को झेलने के लिए भंडार बनाने हेतु मुनाफे का बड़ा हिस्सा बनाए रखने का प्रयास करेगी।

ख.2.2 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम, सेबी, आरबीआई द्वारा लगाई गई आवश्यकताओं का पालन करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी लाभांश घोषणा के संबंध में भारत सरकार या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर भी विचार करेगी।

ग. प्रतिधारित आय का उपयोग

कंपनी बिजली, अन्य बुनियादी ढांचे और रसद क्षेत्र के वित्तपोषण में लगी हुई है। प्रतिधारित आय को कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप लगाया जाएगा जैसा कि कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में विस्तृत है, इस प्रकार कंपनी के व्यवसाय और संचालन के विकास में योगदान दिया जाएगा।

घ. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

रिकॉर्ड तिथि के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी जारी की है, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर समान लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। किसी भी नए श्रेणी के शेयरों को जारी करने के समय नीति की प्रकृति और दिशानिर्देशों के आधार पर उचित रूप से समीक्षा की जाएगी।

ड. ऐसी परिस्थितियाँ जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश के लिए कोई भी सिफारिश करने से पहले बोर्ड द्वारा आम तौर पर जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, जो समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

अन्य प्रावधान

यदि किसी वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा-निर्देश आदि में कोई परिवर्तन होता है, जो इस नीति के किसी प्रावधान को उनके साथ असंगत बनाता है, तो वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा-निर्देश आदि के प्रावधान नीति पर प्रभावी होंगे।

सीएमडी नीति में किसी भी छोटे संशोधन/विचलन को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है और नीति के संबंध में किसी भी व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

****